

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

बनाम लक्ष्मी वत्स
 नु. सं. 131/20 (प्रार्ष्य)

3.2.23

आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं उनके वकील को आज्ञा लगवाई गयी किन्तु उपस्थित नहीं आये। शवा भी खारिज किया जा चुका है। अला प्राणधन कासाई मिश्र का प्रार्थी को अर्थम राजरी व अर्थम पैकी में खारिज किया जाता है। प्रार्थी का प्रार्थन पर प्रार्थी को अर्थम राजरी में खारिज होना ही सब वाद संलग्न रहे।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
 महवा जिला दौसा